# प्रेस नोट

## सराहनीय कार्य कानपुर देहात

## दिनांक- 10.07.2026

❖ **थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए महिला के साथ छेडछाड़ करना, विरोध करने पर मारपीट की घटना कारित करने वाले वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 09.07.2026 को थाना रूरा पर वादी श्री कुलदीप सिंह नायक पुत्र गया सिंह निवासी ग्राम नन्दपुर, आलापुर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात द्वारा लिखित तहरीर दी कि दिनांक 07.07.2026 को शाम पांच बजे वादी अपनी मां पिंकीदेवी व पिता गया सिहं के साथ अपनी भांजी के विवाह में शामिल होने जा रहे थे कि रूरा नहरपुल पर वादी की मां ठेलिया दुकानदार के यहां आम लेने गयी, इसी दौरान दुकानदार ने वादी की मां को आम देने के बहाने उनका हाथ पकड़कर छेडछाड़ कर बत्तीमीजी करना, जिसका विरोध वादी व उसके पिता एवं मां के द्वारा करने पर उनके साथ विपक्षीगणों द्वारा गाली गलौच कर मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देने आदि के सम्बन्धी में दी गयी । जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 208/2026 धारा 74/115(2)/352/351(2)/324(4)/191(2) बीएनएस बनाम 1- दिलशाद पुत्र अज्ञात, 2. मो0 बबलू पुत्र मो0 सलीम, 3. दिलशाद का जीजा नाम अज्ञात , 4. 05-06 व्यक्ति नाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1. दिलशाद खान पुत्र बफाती खां निवासी वार्ड न0 8 गांधीनगर कस्बा व थाना रूरा जनपद कानपुर देहात, 2. लवकुश गौतम पुत्र रामशंकर उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम कारी कलवारी थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 10.07.2026 को नहर पुल कस्बा रूरा थाना क्षेत्र रूरा से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को नियमानुसार समक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जिला कारागार भेजा गया है।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-**

1. दिलशाद पुत्र वफाती उम्र करीब 25 वर्ष निवासी वार्ड नं0 8 गांधी नगर कस्बा व थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ।
2. लवकुश गौतम पुत्र रामशंकर उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम कारी कलवारी थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ।

**गिरफ्तार करने वाली थाना रूरा पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री विनोद कुमार
2. का0 884 सुधीर छौंकर
3. रि0का0 114 सुरेश कुमार